

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]
No. 149]दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2013/भाद्र 26, 1935
DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2013/BHADRA 26, 1935[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 132
| N.C.T.D. No. 132

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य पूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2013

सं. फा. 50(विविध)/खा. एवं पू./सीए/2008/2140.—खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 15 मई, 1987 की अधिसूचना का.आ. संख्या 409 (अ) के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.—दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (इसमें इसके बाद "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में:—

(क) शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— "आगे यह भी शर्त है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को समेकित पारिश्रमिक या आहरित अन्तिम वेतन में से घटाइये पेंशन को प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।"

3. नियम 6 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में:—

(क) शब्द "तेरह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— "आगे यह भी शर्त है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को समेकित पारिश्रमिक या आहरित अन्तिम वेतन में से घटाइये पेंशन को प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सज्जन सिंह यादव, आयुक्त एवं सचिव

DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 17th September, 2013

No. F. 50(Misc)/F&S/CA/2008/2140.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) read with the Government of India, Ministry of Food and Civil Supplies Notification S.O. No. 469(E) dated the 15th May, 1987, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Consumer Protection Rules, 1987, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Consumer Protection (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettee.

2. Amendment of rule 3.— In the Delhi Consumer Protection Rules, 1987 (hereinafter referred to as “the Principal Rules”) in rule 3, in clause (b) of sub-rule (1),—

(a) for the words “twelve thousand rupees”, the words “twenty five thousand rupees” shall be substituted;

(b) after proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided further that the retired Government servant will be given option to receive consolidated remuneration or last pay drawn minus pension.”

3. Amendment of rule 6.— In the Principal rules, in rule 6, in clause (b) of sub-rule (1),—

(a) for the words “thirteen thousand rupees”, the words “thirty thousand rupees” shall be substituted;

(b) after proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided further that the retired Government servant will be given option to receive consolidated remuneration or last pay drawn minus pension.”

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SAJJAN SINGH YADAV, Secy. cum-Commissioner